राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

65वीं बैठक दिनांक 05 जून, 2018 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या - 1 : 64वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि	
एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची	क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना
	ख) वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग
	ग) आरसेटी
एजेण्डा संख्या - 3 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण	क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18
	ख) ऋण-जमा अनुपात - बैंकवार एवं जिलावार
एजेण्डा संख्या - 4 : वित्तीय समावेशन	क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट
	ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना
	ग) बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग
	घ) उत्तराखंड राज्य में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता हेतु मूलभूत ढाँचा (बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस) रहित ग्रामों पर चर्चा
	ङ) सामाजिक बीमा योजनाएं
	च) वित्तीय साक्षरता
एजेण्डा संख्या - 5 : ग्राम्य विकास योजनाएं	क) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना
	ख) फसल बीमा योजना
	ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
	घ) डेयरी उद्यमिता विकास योजना
एजेण्डा संख्या - 6: शहरी विकास योजनाएं	क) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
	ख) प्रधानमंत्री आवास योजना - घटक ऋण आधारित अनुदान योजना (C.L.S.S.)
एजेण्डा संख्या - 7 : समाज कल्याण योजनाएं	क) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
एजेण्डा संख्या - 8 : अवस्थापना विकास योजनाएं	क) एम.एस.एम.ई. ऋण
	ख) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना
	ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)
	घ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
	ङ) स्टैण्ड अप इण्डिया
	च) हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना
	छ) ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण
एजेण्डा संख्या - 9 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

65वीं बैठक दिनांक 05 जून, 2018 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या - 1 : 64वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **64वीं** बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित **उप-समितियों** की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 10 मई, 2018**
2. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति **बैठक दिनांक 23 मई, 2018**
3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 23 मई, 2018**
4. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 24 मई, 2018**

एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची

क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :

(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)

दिनांक 24 मई, 2018 को सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित **ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति** की बैठक में अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध भूमि अभिलेखों पर बैंकों द्वारा ऑनलाइन प्रभार अंकित करने से संबंधित वेब एप्लीकेशन, जिसमें **Real Time Display** की व्यवस्था है, को राज्य के सभी तहसीलों में लागू करने के संदर्भ में सदन को अवगत कराया गया कि देहरादून जिले में यह व्यवस्था लागू हो गयी है तथा राज्य के अन्य जिलों की सभी तहसीलों में भी यह व्यवस्था लागू करने हेतु राजस्व विभाग एवं एन.आई.सी द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है, जो कि आगामी तीन महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 64वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018 में मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा अगली बैठक तक सभी जिलों में उक्त व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए गए थे। शासन से अनुरोध है कि यथाशीघ्र प्रदेश की सभी तहसीलों में उक्त व्यवस्था लागू करने के उपरांत, इस विषयक एक औपचारिक पत्र राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिससे कि सभी बैंकों को सूचित किया जा सके।

ख) वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग : **" SLBC - 39 "**

सदन को अवगत कराना गया कि राजस्व विभाग, उत्तराखंड शासन ने अपने पत्र संख्या **873/XVIII(1)/2018-07(37)/2015** दिनांकित 23 मई, 2018 द्वारा बैंकों के स्तर से वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाइलिंग से संबंधित शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए हम शासन का आभार प्रकट करते हैं। बैंकों को निर्देशित किया जाता कि वे अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं के संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों के आई.डी एवं पासवर्ड बनाते हुए संबंधित पोर्टल के माध्यम से वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाइलिंग करना सुनिश्चित करें। इस विषयक सभी बैंकों को एन.आई.सी. द्वारा एडमिन यूजर / पासवर्ड जारी कर दिए गए हैं।

31 मार्च, 2018 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत है : **(₹ करोड़ में)**

लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति		
	संख्या	**लम्बित राशि**
एक वर्ष से कम	13221	161.05
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	28356	246.18
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	2510	42.05
पाँच वर्ष से अधिक	3612	38.02
कुल लम्बित आर.सी.	**47699**	**487.30**
01.04.2017 से 31.03.2018 तक वसूली की स्थिति	**7745**	**29.30**

वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर दिनांक 31 मार्च, 2018 को **47,699** वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष कुल **₹ 487.30 करोड़** की राशि लम्बित थी, जिसके विरुद्ध **7,745** खातों में **₹ 29.30 करोड़** की वसूली की गयी है, जो कि कुल लम्बित राशि का मात्र **6.01 %** है।

31 मार्च, 2017 को **38,277** वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष कुल **₹ 313.43 करोड़** की राशि लम्बित थी, जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2016-17 में **538** खातों में **₹ 15.58 करोड़** की वसूली की गयी थी, जो कि कुल लम्बित राशि का **4.97 %** था। शासन से अनुरोध है कि नए वित्तीय वर्ष में लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली को गति प्रदान करने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।

ग) <u>आरसेटी</u> :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य में कार्यरत 13 आरसेटी संस्थानों द्वारा **248** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा **6610** अभ्यार्थियों को वांछित रोजगारपरक क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षित प्रदान किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 324 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत 7156 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुरुप आरसेटी संस्थानों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं कार्य आरम्भ करने से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिशत
01.04.2017 से 31.03.2018 तक	**324**	**7156**	**3675**	**51%**
01.04.2011 से 31.03.2018 तक	**1438**	**45482**	**31289**	**69%**

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2017-18 में आरसेटी संस्थानों से प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों का **Settlement Ratio 51%** रहा है, जिसका मुख्य कारण कुल प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों 7,156 में से 2,039 अभ्यार्थियों को चतुर्थ त्रैमास (जनवरी - मार्च 2018) में प्रशिक्षण दिया जाना है, जब कि प्रारम्भ से आरसेटी से प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों का **Settlement Ratio 69%,** जो कि भारत सरकार के मानक 60% को पूरा करता है। रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त कुल **31,289** प्रशिणार्थियों में से **13,331** प्रशिक्षणार्थियों **(43%)** ने बैंक ऋण के माध्यम से तथा **16,637** प्रशिक्षणार्थियों **(57%)** ने स्वयं के साधनों से व्यवसाय स्थापित किए हैं।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2017-18 में आरसेटी संस्थानों से प्रशिक्षित 552 अभ्यर्थी, जो बैंक ऋण के इच्छुक थे, के ऋण आवेदन आरसेटी संस्थानों द्वारा प्राप्त कर बैंकों की विभिन्न शाखाओं को उपलब्ध कराए गए थे। बैंकों द्वारा सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुए **198** आवेदन पत्रों में **₹ 498.53** लाख के ऋण स्वीकृत / वितरित किए गए हैं।

मार्च, 2018 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति किया जाना निम्नवत लम्बित है :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	लम्बित राशि
1	2016-17	168	2.02
2	2017-18	281	8.16
	कुल योग	**449**	**10.18**

हम दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक आरसेटी संस्थानों की इस मद में लम्बित राशि **₹ 7.49 लाख** की प्रतिपूर्ति हेतु शासन का आभार प्रकट करते हैं। 2016-17 में लम्बित राशि पौडी एवं

टिहरी जिले की आरसेटी से संबंधित है। शासन से अनुरोध है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुगमता से कराने के उद्देश्य से लम्बित राशि का आरसेटी संस्थानों को शीघ्र भुगतान करवाने की व्यवस्था की जाए।

आरसेटी पिथौरागढ, जिसका संचालन पूर्व में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा किया जा रहा था, दिनांक 01.04.2017 से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित की जा रही है। आरसेटी संस्थान, पिथौरागढ के भवन निर्माण हेतु National Institute of Rural Development, हैदराबाद से **Fund** की मांग करने पर उनके द्वारा सूचित किया गया है कि इस विषयक **Fund** अवमुक्त करने से पूर्व उक्त परिवर्तन को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में अनुमोदित करवाने की आवश्यकता है। अत: सदन से अनुरोध है कि आरसेटी पिथौरागढ के संचालन में हुए इस परिवर्तन को अनुमोदित किया जाये।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि देहरादून, टिहरी एवं नैनीताल जिले की आरसेटी संस्थानों को आबंटित भूमि संबंधी समस्या का निराकरण किया जाना अभी प्रतीक्षित है। इस विषयक सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने दिनांक 24.04.2018 को पत्र द्वारा संबंधित जिलाधिकारियों को पुन: निर्देशित किया है।

एजेण्डा संख्या - 3 : <u>बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण</u>

क) <u>वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18</u> : **" SLBC - 03 "**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में वार्षिक ऋण योजना के निर्धारित लक्ष्य **₹ 18468.80 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा **₹ 16581.19 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में निम्नवत दर्ज की गयी है, जो कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 90% है।

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	वित्तीय वर्ष 16-17			वित्तीय वर्ष 2017-18		
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
फसली ऋण	5752.94	4037.93	70%	6524.51	5156.49	79%
सावधि ऋण	2810.09	1287.11	46%	3225.14	2399.93	74%
फार्म सेक्टर (कुल)	**8563.03**	**5325.04**	**62%**	**9749.65**	**7556.42**	**78%**
नॉन-फार्म सेक्टर	4450.80	4586.84	103%	4937.81	5432.26	110%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3371.04	2929.61	87%	3781.34	3593.22	95%
कुल योग	**16384.87**	**12841.49**	**78%**	**18468.80**	**16581.90**	**90%**

ख) <u>ऋण-जमा अनुपात - बैंकवार एवं जिलावार</u> : **" SLBC – 01"**

i) <u>बैंकवार</u> :

31 मार्च, 2018 को समाप्त त्रैमास पर राज्य का ऋण-जमा अनुपात **57%** रहा है, जो 31 मार्च, 2017 के सापेक्ष **2%** अधिक है।

निम्न प्रमुख बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है, जिसे बढाये जाने के प्रयास अति आवश्यक है।

बैंक	शाखाओं की संख्या	मार्च, 2017	मार्च, 2018
सेन्ट्रल बैंक	41	27%	30%
आई.डी.बी.आई. बैंक	31	41%	32%

उपरोक्त बैंक नियंत्रक ऋण-जमा अनुपात को आगामी त्रैमास में बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

ii) <u>जिलावार</u> :

निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है।

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	मार्च, 2017	मार्च, 2018
देहरादून	560	33%	36%
पिथौरागढ	104	37%	33%
बागेश्वर	51	23%	29%
रुद्रप्रयाग	54	26%	28%
चमोली	94	27%	27%
टिहरी	134	25%	26%
चम्पावत	57	22%	24%
पौड़ी	196	23%	23%
अल्मोड़ा	146	20%	22%

संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक इस विषयक मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण-जमा अनुपात उप समिति में विभिन्न रेखीय विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से क्षेत्र विशेष की सम्भाव्यता के आधार पर ऋण वितरण की उपयुक्त कार्ययोजना बना कर उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

एजेण्डा संख्या - 4 : <u>वित्तीय समावेशन</u>

क) <u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

बैंकों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुरुप कनेक्टिविटी रहित **693** एस.एस.ए. में से सभी के लिए वी.-सैट के आर्डर प्रेषित कर दिए गए थे तथा **484** एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित करने के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। अवशेष बचे **209** एस.एस.ए. में निम्न विवरणानुसार बैंकवार वी.-सैट स्थापित करने का कार्य अभी लम्बित हैं :

क्र.सं.	बैंक का नाम	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. की संख्या	वी.-सैट स्थापित किए जा चुके एस.एस.ए. की संख्या	वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	297	180	117
2.	पंजाब नेशनल बैंक	41	03	38
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	29	25	04
4.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	21	19	02
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	05	02	03
6.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	02	01	01
7.	बैंक ऑफ इण्डिया	09	06	03
8.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	279	238	41
9.	नैनीताल बैंक	10	10	-
कुल योग		**693**	**484**	**209**

दिनांक 10 मई, 2018 को आयोजित बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन ने वी.-सैट स्थापना के कार्य में हो रहे विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित बैंकों, विशेष रुप से **भारतीय स्टेट बैंक (117), उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (41), पंजाब नेशनल बैंक (38) एवं बैंक ऑफ बड़ौदा (04)** को निर्देशित किया कि वे इस विषय को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आगामी बैठक से पूर्व वी.-सैट लगाने के कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

बैठक में **भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि** के द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके बैंक द्वारा **297 वी.-सैट** की स्थापना में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **In-principle Approval** तथा प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2018 को आगे बढाये जाने के लिये नाबार्ड को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर अभी निर्णय प्रतीक्षित है, जिसके अनुमोदन के पश्चात वी.-सैट शीघ्र स्थापित कर दिये जाएंगें। इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा नाबार्ड से इस विषय में सहयोग प्रदान करने को कहा गया, जिस पर सदन में उपस्थित नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा अपने उच्च प्रबंधन से चर्चा के उपरांत लिए गए निर्णय से अवगत कराने का आश्वासन दिया गया।

पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके बैंक द्वारा स्थापित किए जाने वाले वी.-सैट की आपूर्ति हेतु बी.एस.एन.एल. को आर्डर प्रेषित किए गए थे तथा आर्डर किए गए सभी वी.-सैट उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। किंतु वी.-सैट स्थापना के कार्य में हो रहे विलम्ब का मुख्य कारण बी.एस.एन.एल. द्वारा वी.-सैट से संबंधित इंटरनेट कनेक्टिविटी, जो बी.सी. के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, उपलब्ध न करा पाना है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वी.-सैट स्थापना के कार्य को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से बैंक उच्च स्तर पर इसके निराकरण का प्रयास कर रहा है।

महाप्रबंधक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में लाया गया कि वी.-सैट स्थापना के कार्य में हो रहे विलम्ब का कारण जिला पिथौरागढ़ में उन्हें बी.सी. नहीं मिल पाना हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित बैंकों को यह भी निर्देशित किया गया कि कनेक्टिविटी रहित ऐसे एस.एस.ए., जहाँ बैंकों ने अन्य वैकल्पिक माध्यमों से कनेक्टिविटी प्राप्त कर ली है तथा नाबार्ड से वहाँ वी.-सैट स्थापित करने हेतु पूर्व में अनुमति भी प्राप्त है, वहाँ पर वी.-सैट की स्थापना कर वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध रखें। नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा बैंकों से कहा गया कि यदि वे वी.-सैट स्थापना हेतु पूर्व सहमति प्राप्त कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. से वी.-सैट किसी अन्य एस.एस.ए. में स्थानांतरित करना चाहते हों, तो इस संदर्भ में अनिवार्यत: नाबार्ड से पूर्व सहमति प्राप्त कर लें।

बैंकों द्वारा वी.-सैट की स्थापना में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति दावा नाबार्ड को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 थी, जिसे आगे extend किया जाना आवश्यक है ताकि लम्बित वी.-सैट स्थापना के कार्य को पूर्ण किया जा सके। इस संदर्भ में बैंकों द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 64वीं बैठक में किए गए अनुरोध के अनुक्रम में दिनांक दिनांक 10 मई, 2018 को आयोजित बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में पुन: नाबार्ड से प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 को आगे बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.21(23)/2014-FI(MISSION)(347323) दिनांकित 17 मई, 2018 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुरुप जिन एस.एस.ए. में बी.सी. मिलने में कठिनाई हो रही है, वहाँ राशन विक्रेता, खाद विक्रेता या स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, विशेष रुप से महिला सदस्य, को बैंकों द्वारा बी.सी. के रुप में नियुक्त किया जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का सुझाव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया है, क्योंकि बी.सी. के रुप में कार्य करने पर उन्हें अतिरिक्त आय सृजित करने का अवसर प्राप्त होगा। **साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा बी.सी. के रुप में कार्य करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माइक्रो ए.टी.एम. / टैबलेट बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराया जाएगा।**

ख) <u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरुप इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

		दिसम्बर, 2017	मार्च, 2018
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों से आच्छादित परिवारों की संख्या	20,56,975	20,56,975
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या	22,78,050	23,28,120
ग)	पी.एम.जे.डी.वाई खातों में आधार सीडिंग की संख्या .	16,27,419 **(71.44%)**	16,60,089 **(71.31%)**
घ)	बैंक के समस्त बचत खातों में आधार सीडिंग की संख्या **1. कुल बचत खातों की संख्या - 1,21,46,338** **2. उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या - 1,00,86,290** **3. आयु वर्ग 0 से 9 वर्ष की जनसंख्या - 19,83,665** **4. आधार संख्या से लिंक किए जाने योग्य जनसंख्या (2-3) - 81,02,625**	88,16,008 **(74.05%)** **(87.40%)**	91,19,345 **(75.08%)** **(90.41%)**
ङ)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में जारी किए गए रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	18,27,764	18,66,577
च)	अवितरित (**Undelivered**) रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	68,235	72,305

दिनांक 10 मई, 2018 को आयोजित बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत खोले खातों में **71.31%** आधार सीडिंग पर सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे योजनान्तर्गत खोले गए समस्त खातों में आधार सीडिंग का कार्य एक निश्चित समय के अंदर पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत खोले गए कुल खातों **23,28,120** के सापेक्ष मात्र **18,66,577** खातों में ही रु-पे डेबिट कार्ड जारी किये जाने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि योजनांतर्गत जिन खातों में रु-पे डेबिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, उसके स्पष्ट कारणों से पत्र द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत करायें तथा बैंक आगामी बैठक से पूर्व खोले गए समस्त खातों में शत प्रतिशत रु-पे डेबिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें।

ग) <u>बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग</u> :

धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 ("पीएमएल नियम 2005") में किए गए संशोधन के अनुरूप 01 जून, 2017 से सभी बैंक खातों के लिए आधार आवश्यक कर दिया गया है, किंतु न्यायालय में यह विषय विचाराधीन होने के कारण इसकी अनिवार्यता वर्तमान में स्थगित कर, खाताधारक से सहमति पत्र प्राप्त होने पर आधार सीडिंग किए जाने का अंतरिम प्रावधान है।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में कुल बैंक शाखाओं के 10% शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र की स्थापना एवं संचालन का कार्य किया जाना है, जिसके लिए विभिन्न बैंकों द्वारा उत्तराखंड राज्य में चयनित 230 शाखाओं में से 102 शाखाओं तथा जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में 31 अन्य शाखाओं, कुल 133 शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गयी है। संबंधित बैंकों से अनुरोध है कि वे चयिनत शाखाओं में लम्बित आधार पंजीकरण केंद्रों की स्थापना एवं उनके संचालन के कार्य को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

घ) उत्तराखंड राज्य में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता हेतु मूलभूत ढाँचा (बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस) रहित ग्रामों पर चर्चा (NIC Survey) :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित **484 Inadequately covered or uncovered by financial infrastructure** गाँवों की सूची, जिनके 5 किलोमीटर की परिधि में कोई बैंक शाखा / ए.टी.एम. / बी.सी. / पोस्ट ऑफिस की उपलब्धता का परीक्षण अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा किया गया है, में से 425 गाँव covered पाए गए हैं। **अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया है कि सूची में उल्लिखित 10 स्थान फॉरेस्ट रेंज के रुप में दर्ज हैं, जहाँ जनसंख्या निरंक बतायी गयी है।** शेष बचे **uncovered 49 गाँवों** को अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा सेवा क्षेत्र के आधार पर बी.सी. की नियुक्ति हेतु निम्नवत बैंकों को आबंटित कर दिए गए हैं, जिससे कि इन ग्रामों में जनसामान्य को आधारभूत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सके।

क्र.सं	बैंक	आबंटित गाँव का विवरण
1	भारतीय स्टेट बैंक	**जिला उत्तरकाशी** - दरोगी, घुण्ड, जखाली **जिला देहरादून** -बैगी, देरासा, कुलाहा, पटूडी, पीवने **जिला रुद्रप्रयाग** - बनियाकुण्ड, बनकुण्ड, चोपता, दोगलबिटा, पौथीवासा, तुंगनाथ, गरुरिया, घनुरपानी, मुण्डकटिया, रामबाड़ा, सरनालोशन **जिला बागेश्वर** - बोर बारिया
2	पंजाब नेशनल बैंक	**जिला देहरादून** - अनु, खुन्ना, जसथा, खटुवा, सहतलीगिरवाल
3	बैंक ऑफ बडौदा	**जिला नैनीताल** - गुनियारो
4	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	**जिला देहरादून** - बयाला, इथन, टियूटैट, उनडावा **जिला बागेश्वर** - बगदामु **जिला चम्पावत** - बगेलिगुन्थ श्री पुर्णागिरि, बगेरी, भरयास, बुन्गा, डुंगरापीपल, बुराम डाण्डालोहार झूला, डाण्डा, कलसुनिया, खुरखोला एलजर, कुक्नानी, मनकाण्डा, पोथलग्गा डांग
5	नैनीताल बैंक	**जिला चम्पावत** - चुक्का, कलिंगुन्थ श्रीपूर्णागिरि, खैरी गाँव / खरागुन्थ
6	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	**जिला चम्पावत** - सल, टाण्डामल्ला, टाण्डातल्ला

समस्त बैंक नियंत्रकों को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरुप दिनांक 31 मई, 2018 तक उक्त गाँवों में बी.सी. की नियुक्ति हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

ङ) सामाजिक बीमा योजनाएं :

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना के तहत मार्च, 2018 की समाप्ति तक बैंकों द्वारा राज्य में दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

योजना का नाम	दिसम्बर, 2017	मार्च, 2018
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	17,76,325	17,82,842
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	4,78,937	4,83,334
अटल पेंशन योजना	61,278	79,749

दिनांक 10 मई, 2018 को आयोजित बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता शिविरों में जनसाधारण को भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विशेष रुप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विशेषताओं के संबंध में जागरुक करते हुए अधिकाधिक पात्र व्यक्तियो को योजना के दायरे में लाने का प्रयास करें।

सदन को यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में बैंकों द्वारा **दिनांक 14 अप्रैल, 2018 से 05 मई, 2018 तक** राज्य के चयनित 116 गाँवों में **"ग्राम स्वराज अभियान"** चलाया गया था, जिसका उद्देश्य इन गाँवों के प्रत्येक व्यस्क व्यक्ति का प्रधानमंत्री जन-धन खाता खोलना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना था। अभियान अवधि के दौरान बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी :

योजना का नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत
प्रधानमंत्री जन-धन योजना	3589	3726	**104%**
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	3846	4430	**115%**
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	2622	1639	**63%**

इस क्रम में यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में **"ग्राम स्वराज अभियान - 2"** के अंतर्गत जनपद हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर के चयनित 695 गाँवों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से संतृप्त किए जाने हेतु दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 तक विशेष अभियान शुरु किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा इससे संबंधित सभी सूचनाएं एवं निर्देश संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों एवं बैंक नियंत्रकों को प्रेषित कर दिए गए हैं, जिससे कि वे निर्धारित **SOP (Standard Operating procedure)** के अंदर वांछित कार्यवाही कर लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनकी प्राप्ति सुनिश्चित करें।

च) <u>वित्तीय साक्षरता</u> :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दिसम्बर त्रैमास की समाप्ति तक बैंकों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का विवरण निम्नवत् है :

	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या	कुल कैम्प की संख्या
जनवरी, 2018 से मार्च, 2018	1438	1129	2567
अप्रैल से दिसम्बर, 2017	4866	3773	8639

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप समस्त वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी नियंत्रणाधीन प्रत्येक ग्रामीण शाखा अनिवार्यत: अपने कार्यक्षेत्र / सेवाक्षेत्र के ग्रामों में प्रत्येक माह कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन करें, जिसमें जनसाधारण को बैंक की योजनाओं एवं डिजीटल बैंकिंग, बैंक खातों में आधार सीडिंग, रू-पे डेबिट कार्ड एक्टिवेशन की आवश्यकता के साथ **Consumer Protection, Banking Ombudsman, cloning of ATM Card** आदि के विषय में भी जानकारियाँ प्रदान कराएं, ताकि उनको वित्तीय हानि से बचाया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक **04 जून, 2018 से 08 जून, 2018** तक **वित्तीय साक्षरता सप्ताह** मनाया जा रहा है एवं इस विषयक उनके स्तर से सभी बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। अभियान अवधि में बैंक शाखाओं एवं वित्तीय साक्षरता केंद्रों द्वारा **backward / unbanked areas** में प्रतिदिन **उपभोक्ता संरक्षण (Customer Protection)** पर केंद्रीत विशेष वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाना निर्धारित है, जिसका उद्देश्य जनसामान्य को डिजीटल बैंकिंग से संबंधित खतरों / सावधानियों के प्रति जागरुक कर उन्हें संभावित आर्थिक हानि से बचाना है। समस्त बैंक नियंत्रक दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 5 : <u>ग्राम्य विकास योजनाएं</u>

क) <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

भारत सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बैंकों के स्तर से अपेक्षा की गयी है वे कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** के अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि के लिए अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों के अंतर्गत निम्नवत ऋण वितरित किए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**मद**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों की संख्या (2017-18)**	**कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु वितरित ऋण खातों में वितरित ऋण राशि**
1.	डेयरी	8499	200.05
2.	मुर्गी पालन	273	12.40
3.	भेड़ / बकरी / सुअर पालन	291	16.57
4.	प्लांन्टेशन एवं बागवानी	636	9.02
5.	फूड एवं एग्रो प्रोसेसिंग	1038	356.40
6.	कृषि यंत्रिकरण	1722	40.77
7.	अन्य	41133	1764.73
कुल योग		**53592**	**2399.94**

इसी क्रम में अनुरोध है कि **Tenant Farmer** की पहचान एवं उन्हें ऋण उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण की आवश्यकता है, जिससे कि बैंकों द्वारा इस गतिविधि में अधिकाधिक ऋण वितरित किए जा सकें।

ख) <u>फसल बीमा योजना</u> :

i) **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ 2018** तथा **पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना - मौसम खरीफ 2018** से संबंधित अधिसूचना उत्तराखंड शासन द्वारा जारी कर दी गयी है, जिसके अंतर्गत क्रमश: **चावल एवं मण्डुवा** तथा **आलू, टमाटर, फ्रेंचबीन, मिर्च एवं अदरक** की फसल अधिसूचित की गयी है तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा इन्हें समस्त बैंकों को उपलब्ध करा दिया गया था। एग्रीकल्चर इंश्योंरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे इस विषयक सदन को विस्तार से अवगत कराएं।

समस्त बैंक नियंत्रक अपनी अधीनस्थ शाखाओं को अधिसूचना के अनुरूप संसूचित फसलों हेतु स्वीकृत / वितरित किए गए ऋण खातों को अनिवार्यत: शत प्रतिशत बीमा से आच्छादित करने हेतु समुचित निर्देश जारी करें।

ii) सदन को अवगत कराना है कि देश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **www.agri-insurance.gov.in के स्थान पर www.pmfby.gov.in** के नाम से नया पोर्टल तैयार किया गया है, जिसपर बैंकों के स्तर से फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित कृषकों का डाटा अनिवार्यत: अपलोड किया जाना है। इस संदर्भ में यह भी अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित कृषकों का डाटा अपलोड करने हेतु सर्वप्रथम हेड क्वार्टर स्तर पर बैंक का रजिस्ट्रेशन किया जाना है तथा हेड क्वार्टर स्तर पर रजिस्टर्ड अधिकारी द्वारा राज्य स्तर पर नामित अधिकारी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। तत्पश्चात राज्य स्तर पर नामित अधिकारी शाखा स्तर पर नामित अधिकारी को ब्रॉन्च एडमिन / ब्रॉन्च यूजर के रुप में रजिस्टर्ड करेगा। दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को बीमा योजना की प्रगति समीक्षा हेतु आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरुप के अनुक्रम में बैंकों को निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों का अनिवार्यत: अनुपालन करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में बैंक **www.pmfby.gov.in के Home Page पर curser डाउन करके other links के अंतर्गत tutorials** में जाकर बैंक रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. के द्वारा अवगत कराया गया है कि रबी सीजन 2017-18 में लगभग 83000 कृषकों का बीमा हुआ था, जिनमें से लगभग 65000 कृषकों का डाटा भारत सरकार के फार्मर पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। समस्त बैंक को निर्देशित किया जाता है कि वे रबी सीजन 2017-18 के अवशेष बचे बीमित कृषकों का डाटा भी फार्मर पोर्टल, जो दिनांक 15 जून, 2018 तक खुला है, पर अनिवार्यत: अपलोड कर दें, जिससे कि बीमा क्लेम की स्थिति में किसी प्रकार की समस्या न आए।

ग) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> : " SLBC - 18 "

वित्तीय वर्ष 2017-18 में **"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन"** योजनांतर्गत बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	बैंक ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
3168	2868	1511	1018	641.13	1357

घ) <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना</u> : " SLBC – 46 "

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुरूप प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
2416	2321	2321	3879.30	95

एजेण्डा संख्या - 6 : <u>शहरी विकास योजनाएं</u>

क) <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u> : " SLBC - 16 एवं 17 "

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18** में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
2218	2550	1234	1187	1280.75	1316

ख) <u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> :

योजनांतर्गत ₹ 6,00,000/- से ₹ 18,00,000/- तक की वार्षिक आय वाले परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी मकान नहीं है, वे ऋण की पात्रता रखते हैं तथा सामान्य प्रक्रिया के तहत बैंकों में ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। बैंकों द्वारा लाभार्थियों को देय ब्याज सब्सिडी का भुगतान हुडको या नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनांतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है।

(₹ लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	1184	11006.70	2378.00
हुडको	110	838.03	114.11
योग	1294	11844.73	2492.11

एजेण्डा संख्या - 7 : <u>समाज कल्याण योजनाएं</u>

क) <u>स्पेशल कम्पोनेंट प्लान</u> : "SLBC – 15"

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

i) <u>अनुसूचित जाति</u> :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	बैंक ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
1459	1822	1453	1414	585.41	373

ii) <u>अनुसूचित जनजाति</u> :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	आवेदन स्वीकृत पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
100	140	99	98	28.90	41

iii) <u>अल्पसंख्यक समुदाय</u> :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
225	295	126	92	116.93	169

एजेण्डा संख्या - 8 : <u>अवस्थापना विकास योजनाएं</u> :

क) <u>एम.एस.एम.ई. ऋण</u> : "SLBC – 27"

दिनांक 31 मार्च, 2018 की समाप्ति तक एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अन्तर्गत निम्नवत ऋण वितरित किये गये हैं।

(Outstanding ₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		कुल योग
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1863	3184	2796	4776	2300	1680	6960	9640	16599

मार्च, 2018 त्रैमास की समाप्ति तक एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अन्तर्गत **3,01,114 इकाईयों** के सापेक्ष **₹ 16,599 करोड़** के ऋण वितरित किये गये हैं, जिसमें दिसम्बर, 2017 त्रैमास के सापेक्ष क्रमश: **7586 इकाई** तथा **₹ 1053 करोड़** की वृद्धि दर्ज की गयी है।

समस्त बैंक नियंत्रक एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत अधिकाधिक ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें।

ख) <u>प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना</u> : " SLBC – 28 "

"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंकों द्वारा निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋणों की संख्या	वितरित ऋण राशि
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	192.93	64702	212.97
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	848.64	37758	717.45
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	854.65	6665	498.65
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1896.22**	**109125**	**1429.07**

वित्तीय वर्ष 2016-17 की समान अवधि में योजनांतर्गत वितरित ऋणों का विवरण निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋणों की संख्या	वितरित ऋण राशि
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	337.43	36819	94.16
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	804.14	20695	462.20
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	634.30	4351	325.41
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1775.87**	**61865**	**881.77**

वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत **61865** इकाइयों को वितरित **₹ 881.77 करोड़** के ऋण वितरण के सापेक्ष बैंकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में **109125** इकाइयों को **₹ 1429.07 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं, जो कि क्रमश: **47260 इकाई एवं ₹ 547.30 करोड़** से अधिक है।

समस्त बैंक नियंत्रक योजनांतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

ग) <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> : " SLBC – 7 "

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	बैंकों द्वारा प्रस्तुत अनुदान दावा राशि	बैंकों को प्राप्त अनुदान दावा राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र
DIC - 975	3628	1389	1280	**5379.54**	2101.28	1315.51	2239
KVIC - 730	921	380	360	**1990.04**	900.69	559.08	541
KVIB - 733	1530	778	749	**3400.63**	1424.95	935.45	752
योग - 2438	**6079**	**2547**	**2389**	**10770.21**	**4426.92**	**2810.04**	**3532**

सदन को अवगत कराना है कि खादी और गोमोद्योग आयोग, राज्य कार्यालय, देहरादून द्वारा पत्र दिनांकित 19.03.2017 के द्वारा संज्ञान में लाया गया कि भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत उत्तराखंड राज्य हेतु वार्षिक लक्ष्य को पुनः संशोधित कर लाभार्थी इकाइयों की संख्या **2438 से 1067** तथा मार्जिन मनी वितरण का लक्ष्य **₹ 48.35 करोड़ से ₹ 21.34 करोड़** कर दिया गया था।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से अनुरोध है कि प्रस्तुत अनुदान दावा राशि **₹ 44.27 करोड़** में से बैंकों को भुगतान हेतु लम्बित **₹ 16.17 करोड़** का भुगतान अविलम्ब करवाने की व्यवस्था करें।

दिनांक 23 मई, 2018 को आयोजित अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में अपर निदेशक, एम.एस.एम.ई. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य ने मार्जिन मनी वितरण हेतु आबंटित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष **135%** की उपलब्धि दर्ज करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि मार्जिन मनी क्लेम के संदर्भ में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष **209%** की उपलब्धि दर्ज करते हुए राज्य ने प्रतिशत उपलब्धि की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

घ) <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> : **" SLBC – 9 "**

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय तिमाही की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत है।

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	**बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र**	**स्वीकृत आवेदन पत्र**	**वितरित आवेदन पत्र**	**वितरित ऋण राशि**	**निरस्त/ वापिस आवेदन पत्र**	**लम्बित आवेदन पत्र**
वाहन - 200	222	154	141	1345.41	54	14
गैर-वाहन - 200	170	89	80	1633.46	65	16
कुल योग - 400	**392**	**243**	**221**	**2978.87**	**119**	**30**

दिनांक 23 मई, 2018 को आयोजित अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में वरिष्ठ शोध अधिकारी, पर्यटन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें प्राप्त सूचना के अनुरुप बैंकों द्वारा **292** ऋण आवेदन पत्रों में स्वीकृति प्रदान करते हुए **237** आवेदन पत्रों में ऋण वितरित किए गए हैं। यह भी अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत वितरित ऋण खातों में अनुदान राशि प्राप्त होने की तिथि से अनुदान राशि घटाकर ब्याज लगाये जाने का प्रावधान है, किंतु उनके संज्ञान में आया है कि अधिकांश शाखाओं द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इसकी जाँच कर, निर्धारित नियमों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें।

ङ) <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> : **" SLBC - 44 "**

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा **(जिला सहकारी बैंक के अतिरिक्त)** को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹ 10.00 लाख से अधिकतम ₹ 100.00 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष **2017-18** की समाप्ति तक योजनांतर्गत बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**वर्ग**	**31 मार्च, 2018 तक की प्रगति का विवरण**				
		वित्तीय वर्ष 2017-18			**योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की प्रगति**	
		आवेदन प्राप्त	**आवेदन स्वीकृत**	**स्वीकृत राशि**	**कुल ऋण वितरित आवेदन**	**कुल वितरित ऋण राशि**
1.	महिला	499	451	98.33	895	193.26
2.	अनुसूचित जाति / जनजाति	63	56	10.15	147	29.93
	योग	**562**	**507**	**108.48**	**1042**	**223.19**

च) <u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u> : "SLBC -14"

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
1750	89	87	85	162.96	-	02

इस योजना में लक्ष्य के सापेक्ष में बहुत कम संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। अत: संबंधित विभाग से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2018 - 19 में योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

छ) <u>ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण</u> :

सदन को अवगत कराना है कि मार्च, 2018 त्रैमास की समाप्ति के उपरांत आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की विभिन्न उप समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुरुप समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित कर दिया गया है कि वे रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित कर **दिनांक 01 जून, 2018 से 10 जून, 2018** तक बैंक शाखाओं में 31 मई, 2018 तक प्राप्त एवं लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के शासन स्तर पर संदर्भित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अध्यक्ष महोदय, सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में संबंधित विभाग सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम एवं द्वितीय त्रैमास में क्रमश: 40% एवं 60% ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही शाखावार प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों की सूचना संबंधित बैंक नियंत्रकों को भी संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाए, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती की जा सके।

बैंक नियंत्रक भी उनकी शाखाओं को प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करवाना सुनिश्चित करें।

एजेण्डा संख्या - 9 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****